भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1293
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1293. श्रीमती शांभवीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह मानती है कि सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर किए गए प्रभाव आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों की वर्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों के बीच जलवायु और सूखा अनुकूल कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने हेतु किसी पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि में नवाचार (एनआईसीआरए) नामक मुख्य नेटवर्क परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य-पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और संवर्धन करना है, जिससे देश के संवेदनशील क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान होगा और परियोजना के परिणाम से सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी गंभीर मौसम परिस्थितियों से ग्रस्त जिलों तथा क्षेत्रों को ऐसी चरम परिस्थितियों से निपटने में सहायता मिलेगी। आईसीएआर की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- पिछले 10 वर्षों (वर्ष 2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या एक से अधिक जैविक और/या अजैविक दवाबों के प्रति दवाब-सह्य पाई गई हैं।

- इंटर गवर्मेंटेल पेनल ऑन क्लाइमेट चैंज (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्य रूप से 651 कृषि प्रधान जिलों के लिए जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है। कुल 109 जिलों को 'अधिक उच्च' और 201 जिलों को 'उच्चता' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- मौसमी प्रतिकूल स्थितियां जैसे सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और चरम मौसम की घटनाओं जैसे लू, शीत लहर, पाला, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि के लिए इन 651 जिलों हेतु जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं (डीएसीपी) तैयार की गई है तथा राज्य के कृषि विभागों और किसानों द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों और किस्मों तथा प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की गई है।

- जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की जागरुकता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए एनआईसीआरए के तहत "क्लाइमेट रिसाईलेंट विलेज" (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है।

- किसानों द्वारा अपनाने हेतु जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील 151 जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया।

आईसीएआर अपनी एनआईसीआरए परियोजना के माध्यम से किसानों के बीच कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करता है। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। जलवायु अनुकूल कृषि (सीआरए) प्रौद्योगिकी 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 151 जिलों के 448 सीआरवी में क्रियान्वित की गई है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के माध्यम से पहलों की शुरुआत की है, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (एनएपीसीसी) के अंतर्गत मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक सह्य बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित करना और उन्हें क्रियान्वित करना है। किसानों की जागरूकता/क्षमता वर्धन एनएमएसए कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रारम्भ में एनएमएसए को तीन प्रमुख घटकों के लिए स्वीकृति दी गई थी, जिसमें वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी); ऑन-फार्म वाटर मैनेजमेंट (ओएफडब्ल्यूएम); और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) शामिल थे। तत्पश्चात, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) आदि जैसे नए कार्यक्रम भी शामिल किए गए थे।

*****